

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री मनोज कुमार मीणा, आर0ए0एस0
--: वादी :- बनाम --: प्रतिवादीगण :-

1. माधवराम पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल निवासी झांझनवास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान
 1. अमराराम पुत्र मुकना
 2. चांदाराम पुत्र मुकना
 3. पेमाराम पुत्र मुकना फौत के का.मु.
 - 3/1 माडकी पत्नी पेमाराम
 - 3/2 चेतनराम पुत्र पेमाराम
 - 3/3 कमली पुत्री पेमाराम
 4. मांगीलाल पुत्र मुकना फौत के का.मु.
 - 4/1 केलकी पत्नी मांगीलाल
 - 4/2 राजुराम पुत्र मांगीलाल
 - 4/3 भुण्डाराम पुत्र मांगीलाल
 5. लालुराम पुत्र मुकना
 6. मदनलाल पुत्र पांचु फौत के का.मु.
 - 6/1 सेणकी पत्नी मदनलाल
 - 6/2 लक्ष्मी पुत्री मदनलाल
- जातियान बावरी निवासीगण झांझनवास तहसील जैतारण जिला ब्यावर
7. तहसीलदार जैतारण



मु0न0 :रा0वा0स0: 33/2023

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-.....व हाजरी श्री मुकेश नाथ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री यशपाल पुनिया, श्री राकेश बेनीवाल व श्री हीरालाल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा झांझनवास पटवार हल्का पाटवा भू अभिनेख निरीक्षक बैडकला तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख. नं. 217 रकबा 0.7284 हैक्टेयर किस्म बाराणी दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगाव
1	माधवराम पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल	217/1	0.0371	बा.दो.	0.03
		कुल-1	0.0371	बा.दो.	0.03
2	1. अमराराम पुत्र मुकना 1093/6913 जाति बावरी सा.देह खातेदार 2. चांदाराम पुत्र मुकना 1093/6913 जाति बावरी सा.देह खातेदार 3. पेमाराम पुत्र मुकना 1093/6913 जाति बावरी सा.देह खातेदार 4. मांगीलाल पुत्र मुकनाराम 2239/6913 जाति बावरी सा.देह खातेदार	217	0.6913	बा.दो.	0.20
		कुल-1	0.6913	बा.दो.	0.20

14.5.26
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण, जिला-ब्यावर

5. लक्ष्मी पुत्री पांचुराम 151/6913
जाति बावरी सा.देह खातेदार
6. लालूराम पुत्र मुकना 1093/6913
जाति बावरी सा.देह खातेदार
7. सैणकी पत्नि पांचु 151/6913 जाति
बावरी सा.देह खातेदार

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14.05.2026 को जारी किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुब्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00		स्टाम्प वकालतनामा	8.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	10.00		हुक्मनामा		
			मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	16.00		मिजान:-	8.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण, जिला-ब्यावर